25

[illegible]

[illegible] अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 21 मई,2010

विषय: समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुदानित प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों [illegible] दिनांक 01 जनवरी,2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

[illegible] 1206/26-2-2009 4(अ2)/09 [illegible] की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग [illegible] सहायता प्राप्त अनुदानित प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों को वेतन समिति [illegible] (2006) के प्रथम प्रतिवेदन की सम्स्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार उक्त शासनादेश के स्तम्भ–2 में [illegible] वेतनमान के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्तम्भ 4 एवं 5 के अनुसार सादृश्य [illegible] वेतन की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से प्रदान की गई थी, को संशोधित करते हुए [illegible] 01-01-2006 से अनुमन्य किए जाने की भी सरकार स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त विद्यालयों के ऐसे शिक्षक जो रू0 3200-4900, रू0 3200-5410 तथा रू0 2750 में कार्यरत हैं, को दिनांक 01जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में निम्नानुसार सादृश्य वेतन [illegible] वेतन अनुमन्य होगा:-

पुनरीक्षण पूर्व के वेतनमान / नियत वेतन (रू0)	दिनांक 01जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं [illegible] वेतन / नियत वेतन		
	वेतन बैण्ड का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रू0)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रू0)
3200-85-4900	वेतन बैण्ड–1	5200-20200	2000
3200-85-5410	वेतन बैण्ड–1	5200-20200	2000
2750 नियत	रू0 7300 नियत		

उपरोक्त व्यवस्था इन शिक्षकों को समाज कल्याण विभाग द्वारा देय एक मुश्त अनुदान [illegible] राशि को आगणित / निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ अनुमन्य की जा रही है, इसके आधार पर इन शिक्षकों द्वारा ऐसी किसी सुविधा का दावा अनुमन्य नहीं होगा जो उक्त [illegible] अनुमन्य नहीं है।

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0–ई–3–916 / दस / 2010 दिनांक 21 [illegible] प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

5– उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव।

पृष्ठांकनसंख्या– 1557 (1) / 26–2–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 वित्त वेतन (आयोग) अनुभाग– 1 / 2
3 वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3
4 समाज कल्याण अनुभाग–1 / 3
5 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मधनाथ)
विशेष सचिव

विशेषालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

संख्या– [illegible] 1271 /सल/ शिक्षा/ दिनांक जून 09, 2010

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 समस्त मण्डलीय उपनिदेशक / जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश
2 संबंधित कोषाधिकारी।

(राम बहादुर)